कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees' Provident Fund Organisation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)
मुख्य कार्यालय/Head Office
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066
वैबसाईट/Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

50

वेब परिचालन

संख्या : डब्लू.एस.यू./39(1)/2017/हाउसिंग स्कीम/2297 दिनांक: 02.05.2017

सेवा में,

सभी अपर के.भ.नि.आ. (मुख्या.)/ अपर के.भ.नि.आ. (अंचल) एवं
सभी क्षे.भ.नि.आ.- प्रभारी क्षेत्रीय कार्यालय

विषय: भविष्य निधि सदस्यों की आवासीय जरूरतों के लिए भविष्य निधि से निकासी ।

संदर्भ: मुख्यालय का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 21.04.2017 (क.भ.नि.सं. की वेबसाइट पर वर्ष 2017-18 के लिए 'कार्यालय आदेश एवं परिपत्र' के क्रम संख्या 30 पर उपलब्ध)

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त के संदर्भ में निवास गृह या फ्लैट की खरीद के लिए या निवास गृह के निर्माण के लिए भविष्य निधि से प्रत्याहरण और वित्तपोषण के लिए क.भ.नि. योजना, 1952 में पैराग्राफ 68-बी डी शामिल किया गया है। उक्त परिपत्र के पैराग्राफ (1) में सभी फील्ड कार्यालयों से अनुरोध किया गया था कि इस संशोधन के संबंध में नियोक्ताओं एवं अंशधारकों के लिए इलैक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से भरपूर प्रचार किया जाए ।

2. नियोक्ताओं, ट्रेड यूनियनों एवं भविष्य निधि अंशधारकों को भारी मात्रा में ई-मेल भेजी जाएं। गोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रेस विज्ञप्तिओं आदि के माध्यम से जागरूकता अभियान आरंभ किए जाएं ताकि सभी इच्छुक एवं पात्र भविष्य निधि सदस्य इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

3. समाचार पत्रों/मीडिया की क्लिपिंग सहित कार्रवाई रिपोर्ट तत्काल मुख्यालय को अग्रेषित करें।

इसे अपर के.भ.नि.आ. (मुख्या.)/हाउसिंग के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

(शशांक दिनकर)
क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-I (हाउसिंग)